

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/बजट/आई.टी./वे.व्य./2019-20/309
प्रति,

भोपाल, दिनांक 07-10-19

1. जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त)
मध्य प्रदेश।
2. संभागीय संयुक्त संचालक (समस्त)
लोक शिक्षण मध्य प्रदेश।

विषय : हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में संविदा सहायक ग्रेड-3/डॉटा ऐन्ट्री ऑपरेटर की वेतन भुगतान के संबंध में।

संदर्भ : संचालनालय के पत्र क्रमांक/योजना/पद स्वी./पीए/2017-18/25 भोपाल दिनांक 25.01.2018 एवं पत्र क्रमांक/आई.टी./पद स्वीकृति/2018/51 भोपाल, दिनांक 10.05.2018

-----000-----

स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 से तथा इसके पश्चात् उन्नयन किये गये नवीन हाई तथा हायर सेकण्डरी स्कूलों में पदों की स्वीकृति आदेश में संविदा सहायक ग्रेड-3/ डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर के पदों पर कलेक्टर द्वारा निर्धारित कुशल श्रमिक दरों पर जेम पोर्टल के माध्यम से ही पदों पर नियुक्त किये जाने के निर्देश हैं।

विभागीय उन्नत हाई/हायर सेकण्डरी विद्यालयों (राज्य बजट से संचालित) में जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्त संविदा सहायक ग्रेड-3/डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटरों का मानदेय बजट शीर्ष 53-2202-02-196-0101-6968-V-11-025 से आगामी आदेश तक विकलनीय होगा।
(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(संजय कुमार)

संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल, दिनांक 07-10-2019

पृष्ठा/क्रमांक/बजट/आई.टी./वे.व्य./2019-20/310
प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र. ।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल
6. समस्त, कलेक्टर, मध्यप्रदेश
7. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र.
8. आयुक्त, कोष एवं लेखा पर्यावास भवन भोपाल
9. वित्तीय सलाहकार, स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल
10. समस्त कोषालय अधिकारी, म.प्र.
11. समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण म.प्र.